

राजस्थान सरकार

निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर

क्रमांक:- एफ.13( )/संस्थापन/प्रशिक्षण/2017-18/5363

दिनांक:- 10/10/17

संशोधित कार्यालय आदेश

इस निदेशालय के समसख्यक कार्यालय आदेश क्रमांक 5241-81 दिनांक 6.10.2017 के द्वारा दिनांक 17.10.1017 को राजस्थान राज्य पशुधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जामडोली (जयपुर) विभाग के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों तथा उनके कार्यालय में लेखा से सम्बन्धित कार्य करने वाले कर्मियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी किया गया था।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को भाग नहीं लिया जाना है, सिर्फ उनके कार्यालय में लेखा सम्बन्धित कार्य निष्पादित करने वाले सहायक लेखाधिकारी, लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार अथवा अन्य कर्मचारी जिनके द्वारा कार्यालय का लेखा सम्बन्धी कार्य निष्पादित किया जा रहा है उनको ही इस प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक है।

सम्बन्धित कार्मिको द्वारा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम ~~मन्थ~~ RTPPACT 2012 एवं नियम 2013 से सम्बन्धित नवीनतम 2017 के प्रकाशन (एडीशन-2017) पुस्तिका के साथ प्रशिक्षण में भाग लिया जावे। सम्बन्धित कार्मिक उनके कार्यालय से बजट सम्बन्धित सूचना (निम्न प्रपत्र में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी), तथा कार्यालय से सम्बन्धित महालेखाकार, निरीक्षण विभाग, आन्तरिक जाँच के बकाया पैरो की ठोस एवं पूर्ण पालना रिपोर्ट भी साथ लेकर आवें।

प्रपत्र

| क्र. स | बजट मद एवं उपमद | आंवटित बजट | व्यय राशि (15.10.17 तक) | शेष राशि | मार्च 2018 तक सम्भावित व्यय | आंवटित राशि में से समर्पित योग्य राशि | (राशि रूपये में)<br>राशि समर्पित करने का कारण |
|--------|-----------------|------------|-------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
|--------|-----------------|------------|-------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------|---|

क्रमांक:- एफ.13( )/संस्थापन/प्रशिक्षण/2017-18/ 5364-5413  
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, निदेशक पशुपालन विभाग, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक सांख्यिकी।
4. समस्त अतिरिक्त निदेशक श्रेत्र/समस्त जिला संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक कुचामनसिटी पशुपालन विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके श्रेत्र/जिले में अन्य विभागीय आहरण एवं वितरण अधिकारियों के लेखा सम्बन्धित कार्य निष्पादित करने वाले कार्मिको को प्रशिक्षण में वाछित सूचना के साथ समय पर प्रशिक्षण में उपस्थित होने हेतु आपके स्तर से निर्देशित करें।
5. संयुक्त निदेशक, राजस्थान राज्य पशुधन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जामडोली को प्रेषित कर लेख है कि प्रशिक्षण हेतु आने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए दो बार चाय, लंच एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करावें, उक्त व्यय RKVY मद से व्यय किया जावे।
6. उपनिदेशक (ए.सी.पी) पशुपालन विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट उपलोड करावें तथा ई-मेल से विभाग के समस्त आहरण वितरण अधिकारीयों एवं अन्य अधिकारीयों को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
7. समस्त सम्बन्धित कार्मिक उनके नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से पालनार्थ।
8. रश्रित पत्रावली।

(रमेश सांखला)

वित्तीय सलाहकार

दिनांक:- 10/10/17

(रमेश सांखला)

वित्तीय सलाहकार